सच्चाई के दम पर जोश के साथ...

RNI No: UPHIN/2023/86769

www.swarajindianews.com

swarajindia2023@gmail.com swarajindianews swarajindianews

मूल्यः ₹02

स्वराज इंडिया

सांध्यकालीन समाचार पत्र

कानपुर, मंगलवार, 08 जुलाई, 2025
वर्षः 02, अंकः 184, पृष्ठः 8+4

धर्मांतरणः छांगुर की आलीशान कोठी पर गरजा बुलडोजर

» Pg 12

इनसाइड कानूनन अभी भी विवादों में पनकी मंदिर महंत पद... » Pg03

जाति देखकर न्याय देते हैं

कानपुर देहात के एडीएम प्रशासन अमित कुमार!

स्वराज इंडिया एक्सक्लूसिव

» प्रमुख संवाददाता, स्वराज इंडिया

» फरियादियों की शिकायत का निस्तारण की बजाय साहब पर लग रह उत्पीडन करने के लग रहे गंभीर आरोप

» 'सबका साथ सबका विकास' वाली सरकार में एडीएम प्रशासन का हैरान करने वाले कई कारनामे उजागर

कानपुर देहात। केंद्र की मोदी और यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार 'सबका साथ-सबका विकास' का नारा देकर देश में अपना उच्चतम कीर्तिमान स्थापित कर रही है। वहीं, कानपुर देहात जिले में एक ऐसे अधिकारी की तैनाती है जो कि जाति देखकर निर्णय लेने के लिए जाने जा रहे हैं। कार्यालय या विभागीय कोर्ट में आने वाले फरियादी को जाति विशेष के आधार पर जलील करते हैं। उनपर इस तरह के गंभीर आरोपों को लेकर कई शिकायतें डीएम से लेकर शासन तक पहुंची हैं। इससे अंदर खाने में हलचल मची हुई है। एडीएम अमित कुमार का पक्ष जानने के लिए सरकारी नंबर पर कॉल की गई लेकिन रिसीव नहीं किया। वहीं, डीएम कानपुर देहात अलोक कुमार सिंह ने कहा कि मामले की जानकारी की जा रही है।

अफसरशाही का ऐसा चेहरा जो व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है

प्रकरण 1

जनपद कानपुर देहात के ग्राम संगसियापुर निवासी प्रभाकर मिश्रा, जो एक सामान्य वर्ग के नागरिक हैं, पिछले चार महीनों से अपनी सेवा बहाली के लिए जिले के अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। न्यायपालिका से दोषमुक्त होने के बावजूद प्रशासन की बेरुखी और अपमानजनक व्यवहार ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि अफसरशाही आज भी आम नागरिक की गरिमा को तार-तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। प्रभाकर मिश्रा ने वर्ष 2025 में 11 मार्च और 30 अप्रैल को सेवा बहाली हेतु औपचारिक रूप से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया परंतु कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं की गई।

सबसे दुर्भाग्यपूर्ण क्षण तब आया जब मई 2025 में अपर जिलाधिकारी प्रशासन अमित कुमार से मुलाकात के दौरान उन्हें यह कहकर अपमानित किया गया- 'बार-बार मेरे सामने खड़े हो जाते हो, 35,000 रुपये के लिए मरे जाते हो, कहीं और जाकर क्यों नहीं मरते?' यह कथन किसी भी संवेदनशील और न्यायप्रिय प्रशासनिक व्यवस्था पर सवालिया निशान छोड़ता है। इतना ही नहीं, 3 जून को जब प्रभाकर पुनः कार्यालय पहुंचे तो उन्हें जातिसूचक शब्द कहे गए और उनका उपहास उड़ाया गया। फिर भी, प्रभाकर मिश्रा ने हार नहीं मानी। उन्होंने मांगे गए सभी दस्तावेज और साक्ष्य समय पर प्रस्तुत किए, लेकिन उन्हें बार-बार बुलाकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। 20 जून को तो उनके सामने बैठकर वीडियो बनाते हुए मजाक उड़ाया गया और कहा गया कि वह 'डीएम के बराबर समझते हैं खुद को।' साथ ही उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देकर सेवा बहाली से इनकार कर दिया गया, जबकि उक्त आदेश के खिलाफ विशेष अपील उच्च न्यायालय में लंबित है। अब सवाल यह उठता है- क्या सामान्य वर्ग का होना अपराध है? क्या एक दोषमुक्त व्यक्ति को जीवन यापन और गरिमा के अधिकार से भी वंचित किया जा सकता है? प्रभाकर मिश्रा की यह आपबीती न सिर्फ प्रशासनिक संवेदनहीनता की पोल खोलती है, बल्कि यह दर्शाती है कि सिस्टम में कैसे सामान्य वर्ग के गरीब, निरीह नागरिकों को दरकिनार किया जाता है। अफसोस इस बात का है कि एक पढ़ा-लिखा, कानूनी रूप से मुक्त व योग्य नागरिक इसलिए चार महीने से अपमान सह रहा है क्योंकि वह 'सिस्टम' से टकराने का साहस कर रहा है।

"पांडेय' सरनेम देख लगाया अधिक जुर्माना

प्रकरण 2

भोगनीपुर तहसील के डीग गांव निवासी अमित पांडेय ने बताया कि परिवार के जीविकापार्जन के लिए गांव के अंदर चाय-समोसा बनाकर बेचते हैं। 31 मई 2024 को फूड विभाग के लोगों ने सौंफ का सेंपल भर लिया था, उसका सेंपल अद्योमानक आया था। यह प्रकरण एडीएम प्रशासन अमित कुमार के यहां चल रहा था। बकौल अमित पांडेय, उसको हर बार तारीख लगाकर बुलाकर परेशान किया जा रहा था। दो माह पहले वह एडीएम प्रशासन के कार्यालय में जाकर अपनी आर्थिक स्थिति का हवाला देकर वाद जल्द निस्तारित करने का अनुरोध किया। इस पर उन्होने कहा कि ज्यादा जल्दी है क्या, देखता हूं, दो दिन बाद आने को कहा। वह फिर गया तो कार्यालय में वह नहीं मिले, उनके पीए बृजेश ने कहा ने 5 हजार रूपए दे दो काम हो जाएगा नहीं तो ऐसे ही चक्कर लगाते रहो। इसके कुछ दिन बाद जानबूझकर उसका उत्पीडन करने के लिए 15 हजार रूपया का जुर्माना लगा दिया गया।

सबसे खास बात यह है कि उसी दिन अन्य लोगों पर भी जुर्माना लगाया गया लेकिन किसी पर 8 हजार और किसी पर उससे भी कम, लेकिन सिर्फपांडेय होने की वजह से अधिक जुर्माना भी लगाया मानसिक रूप से परेशान भी किया गया। इसपर डीएम आलोक कुमार सिंह को लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया है।

कानपुर नगर की IGRS रैंकिंग में मामूली सुधार

» डीएम जितेन्द्र प्रताप सिंह की मेहनत रंग लाने लगी

प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। जनसुनवाई पोर्टल (IGRS) की जून माह की रैंकिंग में कानपुर नगर ने तीन पायदान की छलांग लगाकर 65वीं रैंक हासिल की है। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की लगातार कोशिशों और सतत निगरानी के चलते जनशिकायत निस्तारण व्यवस्था में धीरे-धीरे सुधार देखने को मिल रहा है।

जून में जिले को 104 अंक और 74.29 प्रति प्राप्तांक प्रतिशत मिले हैं, जो पिछले माह की तुलना में मामूली सही, लेकिन सकारात्मक बढ़त दर्शाते हैं। मई माह में जिले की रैंक 68वीं थी और 103 अंक (73.57प्रतिशत) मिले थे।

जनता दरबार और सतत निगरानी का असर

डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह स्वयं लगातार जनता दरबार लगाकर जनता की शिकायतें सुन रहे हैं और अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश भी दे रहे हैं। आईजीआरएस पर प्राप्त शिकायतों की निगरानी के लिए उन्होंने एक विशेष टीम भी तैनात की है। हालांकि

अधिकारियों की कार्यशैली में अपेक्षित तेजी अभी नहीं दिख रही, परंतु प्रशासन की कड़ी निगरानी और जवाबदेही तय करने की नीति धीरे-धीरे असर दिखा रही है। यदि अधिकारीगण पूरी जिम्मेदारी से शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करें तो आने वाले महीनों में कानपुर नगर की रैंकिंग और भी बेहतर हो सकती है।डीएम की स्पष्ट मंशा और दिशा दोनों तय हैं – अब जिम्मेदार अफसरों को दिखाना होगा परिणाम।

पिछली रैंकिंग पर नजर डालें ...

फरवरी– 61वीं रैंक, 103 अंक (73.57प्रति)
मार्च उल्लेखनीय सुधार के साथ 41वीं रैंक, 106 अंक (75.71प्रति)
अप्रैल– फिर फिसलकर 61वीं रैंक, 103 अंक (73.57प्रति)
मई– गिरावट जारी रही, 68वीं रैंक, 103 अंक (73.57प्रति)
जून– सुधार के संकेत, 65वीं रैंक, 104 अंक (74.29प्रति)

» कृष्ण दास जिन अदालती आदेशों से बने महंत वो दोनों आदेश अब निष्प्रभावी

» बालक दास द्वारा कथित वसीयत को चुनौती देने वाला वाद अभी भी कोर्ट में विचाराधीन

» जिस मुकदमे से जितेंद्र दास और कृष्ण दास ने स्टे लिया, वह मुकदमा क्षेत्राधिकार के अभाव में अदालत ने वापस किया

» कानूनी रूप से महंत पद पर बालक दास की दावेदारी अभी कायम

कानूनन अभी भी विवादों में पनकी मंदिर महंत पद

निर्मल तिवारी / स्वराज इंडिया

मंदिर सनातनियों की आस्था का केंद्र हैं। महंत पूज्यनीय हैं, श्रद्धालुओं के लिए आदर्श हैं, धर्मपथ पर अग्रसर करने वाले धर्माचार्य हैं। सनातन धर्म में पुजारी, संत, महंत को वह कड़ी माना जाता है जो भक्तों, श्रद्धालुओं के लिए भक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। अधिकांशतः हर मठ, हर मंदिर की अपनी परंपराएं होती हैं और संस्था उन्हीं परंपराओं के अनुसार चलती है। सनातन धर्म में गुरु शिष्य परंपरा का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आमतौर पर किसी गुरु का ज्येष्ठ और श्रेष्ठ शिष्य ही उनका उत्तराधिकारी होता है। गौरतलब यह भी है कि मंदिर हो या कोई भी धार्मिक संस्था कभी व्यक्तिगत नहीं होती। आदर्श स्थिति तो यह है मंदिर में दान किया गया धन और चढ़ावा सदैव धर्म और लोक कल्याण के निमित्त ही होना चाहिए। महंत सदैव योग्य और परंपरा अनुसार ही बनना श्रेयस्कर है। विवाद की स्थिति में वरिष्ठ धर्माचार्यों द्वारा परंपरानुसार स्थापित व्यवस्थाएं मान्य होनी चाहिए और फिर भी रास्ता ना निकले तो अदालतों के दरवाजे तो सदैव खुले ही रहते हैं। लेकिन जब तक विवाद का निर्णय न हो जाए तब तक उस धार्मिक स्थल की देखरेख के लिए प्रशासन द्वारा एक तदर्थ व्यवस्था करना ही न्यायोचित होता है। व्यवस्थाएं इसी प्रकार की हैं भी लेकिन व्यवहार में क्या ऐसा हो पाता है? शायद नहीं! पनकी मंदिर में महंत पद के कई दावेदार हैं। महंत का पद कानूनी तर्कों, वितर्कों, दलीलों, साक्ष्यों दावों और प्रतिदावों के बीच उलझा हुआ है। ब्रह्मलीन महंत रमाकांत दास जी द्वारा ग्रहस्थ भतीजे कृष्णदास को महंत बनाने की घोषणा से शुरू हुआ विवाद वर्ष 2017 से अब तक कायम है लेकिन फिर भी कृष्ण दास महंत के रूप में स्थापित हैं जबकि उनका व्यक्तित्व कई बार सनातन भक्तों को यह सोचने पर विवश कर देता है क्या वाकई वह इस पद के योग्य हैं?

पनकी मंदिर का महात्म्य और एक महंत का स्तर

पनकी स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है। कानपुर ही नहीं अपितु पूरे देश में मंदिर की ख्याति है। पीएम मोदी, सीएम योगी एक नहीं अनेक बार पनकी दरबार के प्रति अपनी आस्था प्रकट कर चुके हैं। मंदिर के महत्व का अंदाजा आप इस तथ्य से लगा सकते हैं कि अनुपम खेर ने जब देश के प्रसिद्ध हनुमान मंदिरों पर एक सीरीज बनाई तो उसका पहला अंक कानपुर के पंचमुखी हनुमान मंदिर पनकी को समर्पित था। पनकी मंदिर पिछले काफी समय से महंतों के विवादों के चलते भी सुर्खियों में रहा है। पिछले दिनों जगन्नाथ रथ यात्रा से पूर्व पनकी मंदिर के महंत एक बार फिर सुर्खियों में आ गए जब एक थाना प्रभारी पर दोनों महंतों ने गाली देने का आरोप लगाते हुए निलंबन ना होने तक रथ यात्रा निकालने से इनकार कर दिया। तमाम धार्मिक परंपराओं को परे रख धरना शुरू कर दिया। इस पूरे प्रकरण में पनकी मंदिर के कथित (विषय न्यायालय में) महंत कृष्णदास का एक वीडियो वायरल हुआ। जिसमें वह महंत पद की गरिमा के विपरीत अभद्र भाषा बोलते नजर आए। ऐसी भाषा जो एक महंत के मुख से क्या किसी सभ्य व्यक्ति के मुख से भी निकलना अशोभनीय है। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने कथित महंत कृष्णदास की इस भाषा पर न केवल आपत्ति उठाई बल्कि उनके आचरण को महंत पद की मर्यादा के विपरीत बताया।

संक्षेप में पूरा मामला महंत रमाकांत दास जी के ब्रह्मलीन होने के बाद पनकी मंदिर विवादों के केंद्र में आ गया। वैसे विवाद तो पहले से ही उत्पन्न हो रहे थे लेकिन अब विवादों की सुनामी आ चुकी थी। जहां जितेंद्र दास का महंत पद पहले से ही विवादों में था तो वहीं वसीयत और शिष्यत्व लिए बैठे कृष्ण दास और बालक दास के बीच भी महंत पद को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। स्वयं को महंत रमाकांत दास का एकमात्र शिष्य बताने वाले बालक दास ने जो बात सबसे प्रमुखता से उठाई वह थी कृष्ण दास का बाल ब्रह्मचारी ना होना। जबकि पनकी मंदिर में अब तक जितने भी महंत हुए हैं सभी बाल ब्रह्मचारी रहे हैं। कृष्ण दास इसमें अपवाद हैं और जिस समय रमाकांत दास ने इन्हें महंत बनाने की घोषणा की, उस समय इन्होंने वैराग्य भी धारण नहीं किया था। इतना ही नहीं बालक दास, जितेंद्र दास, कृष्ण दास के अतिरिक्त भी कुछ लोग महंत पद के दावेदार बनकर सामने आए और मंदिर में आए दिन झगड़ा होने लगा। मंदिर परिसर अखाड़ा बन गया। इन स्थितियों से व्यथित तमाम सभ्रांत और प्रभावशाली लोगों ने इस विवाद को सुलझाने की पहल की। बताया जाता है वर्ष 2020 में तत्कालीन जिलाधिकारी बृहस्पति देव तिवारी ने मौखिक आदेश देकर मंदिर के सभी दान पात्रों में ताले लगवा दिए और एक गारद पुलिस तैनात कर दी। अदालत का फैसला होने तक दान पात्र से धन निकालने पर मौखिक आदेश से रोक लग गई। तमाम विवादों के शांतिपूर्ण निपटारे के लिए जितेंद्र दास, कृष्ण दास के बीच समझौता कराने की शहर के ही नहीं, धार्मिक क्षेत्र के तमाम गणमान्य व्यक्तियों ने प्रयास किया। कहा जाता है ऐसे ही एक प्रयास में इन दोनों महंतों के बीच एक ट्रस्ट के गठन पर सहमति बनी, लेकिन आगे चलकर जितेंद्र दास ने इस ट्रस्ट के गठन का विरोध करते हुए एक सिविल वाद न्यायालय में दाखिल कर दिया।

जितेंद्र दास के सिविल वाद में मिला स्टे सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में दाखिल मुकदमा संख्या 328/20 जितेंद्र दास बनाम अमित नारायण आदि में दिनांक 02–04– 2022 को एक निषेधाज्ञा (स्टे) आदेश जारी हुआ। जिसमें वादी और प्रतिवादी संख्या तीन की सहमति से मंदिर के कार्यों को सुचारू संचालन की व्यवस्था दी गई । इस मुकदमे में वादी जितेंद्र दास और प्रतिवादी नंबर तीन कृष्ण दास थे।

अब न्यायालय ने यही मुकदमा क्षेत्राधिकार के अभाव में वादी को वापस किया

जब सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत से स्टे ऑर्डर पास हो गया तो महंत पद के एक अन्य दावेदार बालक दास कोर्ट पहुंचे और स्वयं को भी पक्ष बनाने का प्रार्थना पत्र दिया। इसके बाद बालक दास के द्वारा न्यायालय को बताया गया कि ट्रस्ट संबंधी किसी दावे की सुनवाई का क्षेत्राधिकार सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत को है ही नहीं। इसकी सुनवाई सत्र न्यायालय में या सत्र न्यायालय द्वारा निर्देशित अदालत में ही की जा सकती है। सिविल जज सीनियर डिविजन कोर्ट ने दिनांक 10 मई 2025 को अपने आदेश में क्षेत्राधिकार के अभाव में वादी को वाद वापस कर दिया। इस प्रकार इस मामले में इस कोर्ट द्वारा दिया गया स्टे ऑर्डर भी समाप्त हो गया।

बालक दास द्वारा वसीयत को चुनौती बरकरार बालक दास द्वारा सिविल जज सीनियर डिवीजन एफटीसी कोर्ट में वाद संख्या 482 सन् 20 महंत बालक दास बनाम कृष्ण लाल शुक्ला दाखिल कर ब्रह्मलीन महंत रमाकांत दास जी की कथित वसीयत को चुनौती दी गई। इस मुकदमे में भी 16–09–2022 को कृष्ण दास के पक्ष में फैसला आया था। आदेश से असहमत बालक दास ने सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की। जिस पर दिनांक 27 फरवरी 2025 को एडीजे 21 कोर्ट के आदेश के अनुसार सिविल जज सीनियर डिवीजन के आदेश दिनांक 16– 9–22 को अपास्त कर मामले को फिर से सुनवाई के लिए निचली अदालत को भेज दिया। इस प्रकार जिन दो आदेशों के आधार पर कृष्ण दास महंत के पद पर कार्य कर रहे हैं, वह दोनों ही आदेश वर्तमान समय में प्रभावी नहीं हैं और कानूनी दृष्टि से कृष्ण दास पनकी मंदिर के महंत नहीं हैं।

एडीएम सिटी ने सदर तहसील में की जनसुनवाई

प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। एडीएम सिटी डॉक्टर राजेश कुमार ने मंगलवार को सदर तहसील में जन सुनवाई की। फरियादियों की शिकायतों को गुणवत्ता एवं त्वरित निस्तारण का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि सभी लेखपाल और कानूनगो अपने क्षेत्र में रोज जाएं एवं शिकायतों का निस्तारण करें। तहसील सदर का निरीक्षण करते हुए हिदायत की यहां आने वाले लोगों के लिए स्वच्छ पानी का इंतजाम जरूर हो। इस दौरान एसडीएम सदर अविचल सिंह, सदर तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एडीएम सिटी स्टेनो नयन समेत कई लोग मौजूद रहे।

बसपा की विधानसभा स्तरीय बैठक में सक्रिय होने के संकेत

युवाओं और भाईचारे पर फोकस

स्वराज इंडिया संवाददाता

बिल्हौर। बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में सोमवार को कस्बा बिल्हौर में विधानसभा स्तरीय बैठक आयोजित की गई। जिसकी अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष रमेश पाल ने की।

बैठक में सेक्टर और बूथ गठन की समीक्षा करते हुए गठन को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया।

उन्होंने पचास फीसदी युवाओं की भागीदारी सुरक्षित करने के निर्देश दिए। साथ ही भाईचारा कमेटियों के माध्यम से जनाधार को बढ़ाने की रणनीति भी रखी। बैठक में जिला पंचायत सदस्य पद के संभावित प्रत्याशियों पर भी विचार विमर्श किया गया।

ककवन, बरांडा, नानामऊ समेत उन क्षेत्रों की सीटों पर चर्चा करते हुए उम्मीदवारों के चयन पर विचार हुआ। इस दौरान पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सोबरन सिंह शास्त्री,एडवोकेट रजनीश दिवाकर, रजनी गौतम, अर्जुन दिवाकर, रामदास कुरील,रवि गौतम,शाहिल, पूर्व प्रभारी विनय गौतम आदि लोग मौजूद रहे।

सम्पादकीय

पंजाब में बढ़ते अपराध गंभीर चुनौती

एक बार फिर पंजाब देश-विदेश से संचालित आपराधिक गैंगों और आतंकवादियों के निशाने पर आ गया है। संगठित आपराधिक गिरोहों द्वारा आम-खास लोगों को शिकार बनाये जाने की घटनाएं जब-तब सामने आती रहती हैं। हाल ही में एक पृथकतावादी संगठन के सक्रिय आतंकी हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी पासिया का अमेरिका से प्रत्यर्पण इस बात की याद दिलाता है कि राज्य में चरमपंथी विचारधारा का साया कितना गहरा बना हुआ है। आरोप है कि करीब चौदह ग्रेनेड हमलों को अभियुक्त ने अंजाम दिया। पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर काम करने वाले अभियुक्त पासिया की भारत वापसी निस्संदेह आगे की जांच में मददगार साबित होगी। इससे भारत विरोधी गतिविधियों में पाकिस्तान के सत्ता प्रतिष्ठानों के काले अध्याय फिर सामने आने की भी उम्मीद जगी है। इस प्रकरण के उजागर होने से एक बार फिर स्पष्ट हुआ है कि कैसे पंजाब को भारत विरोधी ताकतों द्वारा विदेशों से निशाना बनाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर राज्य में गैंगस्टरों द्वारा की जा रही हिंसा में खतरनाक ढंग से वृद्धि देखी जा रही है। अबोहर के व्यवसायी संजय वर्मा की दिनदहाड़े हुई हत्या और मोगा में अभिनेत्री तानिया के डॉक्टर पिता की उनके क्लीनिक में गोली मारकर की गई निर्मम हत्या ने इस बात को उजागर किया कि संगठित आपराधिक नेटवर्क कितनी आसानी से काम कर रहे हैं। हमलावरों द्वारा सार्वजनिक रूप से मरीज बनकर डाक्टर को गोली का निशाना बनाना आपराधिक दुस्साहस को ही उजागर करता है। जो बताता है कि अपराधियों में कानून व पुलिस का खौफ नजर नहीं आता। यह समाज वैज्ञानिकों के लिये भी गंभीर मंथन का विषय है कि राज्य का समाज इस गहरी अस्वस्थता का शिकार क्यों है। निश्चित रूप से समाज में आर्थिक विसंगतियां और सामाजिक विद्रूपताएं अपराध की राह खोल रही हैं। वहीं दूसरी ओर, राज्य में शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी, नशे की लत, अशांत बचपन, गरीबी, विषैली राजनीति और रातों-रात अमीर बनने की लालसा कई पंजाबी युवाओं को अपराध की अंधी गली की ओर धकेल रही है। ऐसा भी नहीं है कि बेरोजगारी व अन्य सामाजिक विसंगतियां देश के अन्य राज्यों में नहीं हैं। नशा एक राष्ट्रीय संकट बनता जा रहा है।

सवाल ये कि हमारा शासन-प्रशासन इन अपराधों से किस तरह निबटता है। विडंबना यह भी है कि सोशल मीडिया पर हो रही चर्चा में गैंगस्टरों का महिमामंडन आग में घी डालने का काम कर रहा है। निस्संदेह, अपराध का रास्ता कई युवाओं को आकर्षित करता है, लेकिन एक हकीकत यह भी है कि इस राह से गुजरने के बाद मुख्यधारा में लौटना असंभव है। अपराधी फिर कभी सामान्य जीवन नहीं जी सकता। लेकिन इसके बावजूद शासन-प्रशासन को राज्य में उन सामाजिक-आर्थिक विसंगतियों को प्राथमिकता के आधार पर संबोधित करने की सख्त जरूरत है, जो अपराध को बढ़ावा देते हैं। उन विभागीय काली भेड़ों की भी सख्त निगरानी की जरूरत है जो अपराधियों के अपवित्र गठबंधन में मददगार होती हैं। हालांकि, पंजाब पुलिस ने कुछ गिरफ्तारियां और मुठभेड़ें की हैं, लेकिन ये महज एक प्रतिक्रियात्मक कदम मात्र है। इस बड़े संकट से निपटने के लिये एक निरंतर, व्यवस्थित व कारगर रणनीति बनाने की जरूरत है। वहीं कानून प्रवर्तन एजेंसियों को मजबूत बनाने की दरकार है। इसके साथ ही शिक्षा प्रयासों का विस्तार करने, पुनर्वास और न्यायिक प्रक्रियाओं को भी तेज करने की आवश्यकता है।

ठोस रणनीति से ही हिमाचल में नशा मुक्ति की राह

सोमेश गोयल

हिमाचल प्रदेश में नशीले पदार्थों की समस्या बड़ी चुनौती बन गयी है। सिंथेटिक ड्रग्स की स्मगलिंग गंभीर समस्या है। शिकंजा कसने के लिए नशा निवारण कानून के तहत पुलिस द्वारा दर्ज मामले बढ़े हैं। राज्य में एक सर्वेक्षण जरूरी है जिससे नशे के आदी लोगों की पहचान व ठोस रणनीति के तहत पुनर्वास का सतत अभियान चलाया जा सके। इस माफिया पर नकेल के लिए वित्तीय जांच भी बढ़ाई जाये।हिमाचल प्रदेश में मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के उद्देश्य से एक सशक्त संदेश देते हुए पुलिस ने केवल एक महीने में ही 250 से अधिक व्यक्तियों के खिलाफ नशा तस्करी के आरोप में मुकदमें दर्ज किए हैं। ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में 183 एफआईआर दर्ज की गई हैं।

प्रदेश में 14 मामले वाणिज्यिक मात्रा में मादक पदार्थ रखने के लिए, 85 मामले मध्यम मात्रा के लिए और 58 मामले छोटी मात्रा के लिए दर्ज किए गए। लगभग दो दर्जन मामले नशीली दवाओं की खेती से संबंधित थे। एक सकारात्मक कदम के रूप में पुलिस ने पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम के तहत 21 निवारक प्रस्तावों पर कार्रवाई शुरू की है। राज्य पुलिस ने सक्षम प्राधिकारी से आधा दर्जन आदेश प्राप्त करने में भी सफलता हासिल की है। लगभग तीन दशकों से मादक पदार्थों की समस्या कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। तस्करी ने केवल गांजा केंद्रित व्यापार से बदलकर छिपाने में आसान और उच्च कीमत वाले सिंथेटिक ड्रग्स की स्मगलिंग का रूप ले लिया है। दूरदराज व दुर्गम इलाके का फायदा उठाते हुए अपराधी यहां अफीम की अवैध खेती भी करते हैं।

वर्ष 2019 के नशीले पदार्थों के उपयोग संबंधी राष्ट्रीय सर्वेक्षण में हिमाचल प्रदेश के लिए कोई गंभीर चेतावनी नहीं दी गयी थी। हालांकि, तब से काफी कुछ बदल चुका है। समस्या की सटीक स्थिति जानने के लिए राज्य स्तर पर एक नमूना सर्वेक्षण की तत्काल आवश्यकता है। पुलिस वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2023 में एनडीपीएस अधिनियम के मामलों में 41 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है। राज्य के लिए चिंताजनक बात यह है कि मादक पदार्थों के मामलों में गिरफ्तार किए गए 90 प्रतिशत से अधिक लोग 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के हैं। राज्य की जेलों में लगभग तेरह सौ युवा मादक पदार्थों से जुड़े मामलों में बंद रहते हैं। राज्य का कोई भी जिला मादक पदार्थों की समस्या से अछूता नहीं है। शिमला, कुल्लू और मंडी जिलों में इस श्रेणी के अधिकतम मामले दर्ज होते हैं।

राज्य की जेलों में एनडीपीएस मामलों से जुड़े दोषी और अभियुक्त कैदियों की संख्या अधिक है। लगभग 40 प्रतिशत पुरुष कैदी, चाहे दोषी हों या अभियुक्त, मादक पदार्थों से जुड़े मामलों में शामिल हैं। महिलाओं के लिए यह आंकड़ा लगभग 30 प्रतिशत है। छोटी मात्रा के तस्कर अक्सर स्वयं भी नशीली दवाओं का इस्तेमाल करने वाले होते हैं। लगभग 10 प्रतिशत कैदियों को नशामुक्ति और पुनर्वास कार्यक्रम की आवश्यकता होती है। ऐसे व्यक्तियों का स्थान जेल नहीं बल्कि पुनर्वास केंद्र होना चाहिए। पुनर्वास के लिए कोई भी तय प्रोटोकॉल न होने के कारण, सुधार गृहों में तैनात चिकित्सक मादक पदार्थों के उपयोगकर्ताओं के उपचार में दक्ष हो गए हैं। राज्य के सुधार विभाग का प्रयास, जो एक केंद्रीय जेल में पुनर्वास केंद्र शुरू करने के लिए एक केंद्रीय योजना का लाभ उठाना चाहता था, राज्य सरकार के एक बाबू द्वारा खारिज कर दिया गया! राज्य सरकार को उन सभी सुधार गृहों को, जहां समर्पित चिकित्सक तैनात हैं, औपचारिक रूप से मादक पदार्थ पुनर्वास केंद्र घोषित करना चाहिए।राज्य की मादक पदार्थ समस्या के प्रति प्रतिक्रिया अब तक टिकाऊ नहीं रही है, जिसने संबंधित सभी मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया। सबसे पहले, राज्य सीआईडी के तहत एक एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) स्थापित की गई। बाद में, एक राज्य कानून पारित किया गया और एक विशेष टास्क फोर्स (एसटीएफ) बनाई गई, लेकिन एएनटीएफ को समाप्त नहीं किया गया।

संतुलित समाज के निर्माण में हो सहायक

पुरुष आयोग की मांग

डा0 सुधीर कुमार

तर्क दिया जा रहा है कि पुरुष आयोग बनाना समानता के सिद्धांत के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करेगा कि पुरुषों को भी उनके अधिकारों से वंचित न किया जाए। यह एक ऐसी संस्था होगी जो पुरुषों से संबंधित डेटा एकत्र करेगी, उनकी शिकायतों को सुनेगी, और सरकार को उनके कल्याण के लिए सुझाव देगी।जब हम लैंगिक समानता की बात करते हैं, तो अक्सर महिलाओं के अधिकारों और उनके सशक्तीकरण पर ज़ोर दिया जाता है, जो कि बिल्कुल सही और आवश्यक भी है।

यह लैंगिक समानता की दिशा में एक कदम है। समाज में लिंग-आधारित रूढ़िवादिता के कारण, पुरुषों को अपनी पीड़ा व्यक्त करने में हिचकिचाहट होती है, जिससे उनकी समस्याएं अक्सर अनसुनी रह जाती हैं।लंबे समय से, घरेलू हिंसा और प्रेम संबंधों में होने वाली क्रूरता को अक्सर महिलाओं से जोड़कर देखा जाता रहा है, जो कि बिल्कुल सही भी है। महिलाएं इन अपराधों का शिकार होती हैं। लेकिन, सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है कि पुरुष भी इन अपराधों के शिकार हो रहे हैं। कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां प्रेम संबंधों में अनबन या अन्य कारणों से पतियों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है।उनके पास मदद या शिकायत दर्ज कराने के लिए कोई खास मंच नहीं है।झूठे आरोप भी एक गंभीर समस्या है जिससे पुरुष जूझते हैं। दहेज उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न या अन्य अपराधों के झूठे आरोप पुरुषों के जीवन को पूरी तरह से तबाह कर सकते हैं, भले ही वे बाद में निर्दोष साबित हो जाएं। यह उनके करिअर, सामाजिक प्रतिष्ठा और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा नकारात्मक प्रभाव डालता है। वर्तमान कानूनी ढांचे में, ऐसे मामलों में पुरुषों को खुद को निर्दोष साबित करने के लिए अक्सर लंबा और जटिल संघर्ष करना पड़ता है, और उनके लिए कोई विशेष सहायता प्रणाली नहीं है।

इसके अलावा, दहेज उत्पीड़न या बलात्कार जैसे कानूनों का कई बार दुरुपयोग होता है, जिसके चलते कई निर्दोष पुरुषों को झूठे मामलों में फंसा दिया जाता है। पारिवारिक विवादों, जैसे तलाक या बच्चों की कस्टडी के मामलों में भी, अक्सर पुरुषों को अलग-थलग महसूस कराया जाता है और उनके पक्ष को कई बार उचित महत्व नहीं मिलता। मानसिक स्वास्थ्य भी एक बड़ा मुद्दा है ; समाज का दबाव पुरुषों को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से रोकता है, जिससे उनके मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। ऐसे में उन्हें न्याय पाने और अपनी बेगुनाही साबित करने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यह उनके करियर, सामाजिक प्रतिष्ठा और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा नकारात्मक प्रभाव डालता है।

878 वर्षों से संरक्षित है संत रामानुजाचार्य का भौतिक शरीर

» मिस्र की ममी से भी प्राचीन भारतीय परंपरा का जीवंत उदाहरण

(स्वराज इंडिया स्पेशल रिपोर्ट)

श्रीरंगम (तमिलनाडु).जब पूरी दुनिया मिस्र के पिरामिडों और राजाओं की ममी देखकर चकित होती है, तो भारत के दक्षिण में स्थित श्रीरंगम का श्रीरंगनाथस्वामी मंदिर चुपचाप एक ऐसी सच्चाई को संजोए हुए है जो भारत की आध्यात्मिक गहराई और वैज्ञानिक परंपरा की जीती-जागती मिसाल है। यहां के एक कोने में 878 वर्षों से विशिष्टाद्वैत दर्शन के महान संत स्वामी रामानुजाचार्य का भौतिक शरीर पूर्णत- संरक्षित अवस्था में आज भी पद्मासन में विराजमान है।

यह शरीर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि भारतीय परंपरा में शरीर संरक्षण की अति प्राचीन एवं सुसंगठित प्रणाली का प्रमाण भी है, जो मिस्र की ममी परंपरा से कहीं अधिक परिपक्व और जीवंत प्रतीत होती है।

भारत से मिस्र तक मस्लिन कपड़े और संरक्षण का सेतु

इतिहास गवाह है कि मिस्र की ममियों को जिस वस्त्र में लपेटा जाता था, वह वस्त्र था भारत का बना हुआ मस्लिन कपड़ा, जो बंगाल और दक्षिण भारत से मिस्र तक निर्यात होता था। यानी, भारत न केवल जीवनदर्शन का केंद्र था, बल्कि मृत्यु के बाद के संरक्षण की परंपरा में भी विश्वगुरु की भूमिका निभा चुका है।

तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले के श्रीरंगम स्थित श्रीरंगनाथस्वामी मंदिर को भारत के सबसे बड़े मंदिर परिसरों में गिना जाता है। इसी मंदिर के पांचवें परिक्रमा पथ पर श्री रामानुज मंदिर स्थित है, जहां संत रामानुजाचार्य (1017–1137) का शरीर संरक्षित है।रामानुजाचार्य ने 120 वर्ष की आयु में पद्मासन में ही समाधि ली थी। मान्यता है कि स्वयं भगवान श्रीरंगनाथस्वामी के आदेश से उनके शिष्यों ने उनके शरीर को वैसा ही संरक्षित कर रखा। आज भी शरीर पर आंखें, नाखून, और चेहरे की संरचना स्पष्ट देखी जा सकती है।

संरक्षण की पवित्र विधि

रामानुजाचार्य के शरीर पर रोज़ किसी प्रकार का अभिषेक नहीं किया जाता, ताकि वह सड़न से मुक्त रहे। वर्ष में केवल दो बार जड़ी-बूटियों और औषधियों से सफाई की जाती है और चंदन तथा केसर का विशेष लेप लगाया जाता है।

यह प्रक्रिया आधुनिक विज्ञान की बॉडी प्रिज़र्वेशन विधियों से कहीं ज्यादा प्राकृतिक और प्रभावशाली मानी जाती है।

शांत महिमा, बिना किसी प्रचार के

श्रीरंगनाथस्वामी मंदिर का यह हिस्सा किसी पर्यटन स्थल की तरह प्रचारित नहीं किया गया है, न ही मिस्र के पिरामिड्स जैसी वैश्विक ब्रांडिंग मिली है। यह स्थान आज भी एक जीवंत श्रद्धा केंद्र है, जो भारत की सांस्कृतिक गहराई, संत परंपरा और आध्यात्मिक वैभव का प्रतीक बना हुआ है।

मंदिर परिसर में आज भी वह लकड़ी का बॉक्स सुरक्षित रखा गया है, जिसे रामानुजाचार्य स्वयं उपयोग करते थे। यह स्थान न केवल धार्मिक श्रद्धालुओं के लिए पवित्र है, बल्कि इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के लिए भी एक रहस्य और प्रेरणा का स्रोत है।

भारत की सांस्कृतिक धरोहरें सिर्फ मंदिरों और मूर्तियों तक सीमित नहीं, बल्कि वे जीवंत परंपराएं हैं जो विज्ञान, आध्यात्म और जीवन-दर्शन का अनोखा संगम प्रस्तुत करती हैं। श्रीरंगम का यह पवित्र स्थल दुनिया को दिखाता है कि भारत की परंपराएं प्रचार से नहीं, परम श्रद्धा और संरक्षण से अमर होती हैं।

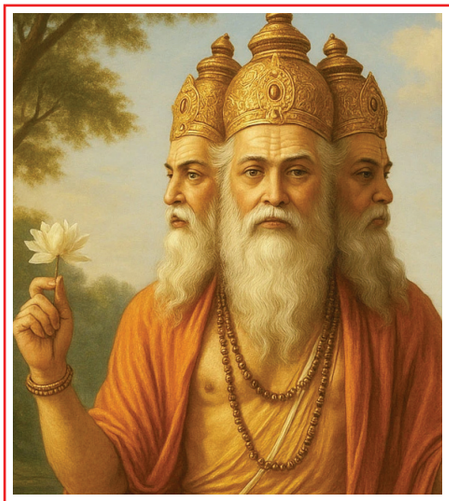

ब्रह्मा जी ने दस प्रकार की सृष्टियों की रचना की है

ब्रह्मा जी ने उस कमल कोष के तीन विभाग भूः भुवः स्वः किये। ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचने का दृढ़ संकल्प लिया और उनके मन से मरीचि, नेत्रों से अत्रि, मुख से अंगिरा, कान से, पुलस्त्य, नाभि से पुलह, हाथ से कृतु, त्वचा से भृगु, प्राण से वशिष्ठ, अंगूठे से दक्ष तथा गोद से नारद उत्पन्न हुये।

ब्रह्मा जी ने आदि देव भगवान की खोज करने के लिए कमल की नाल के छिद्र में प्रवेश कर जल में अंत तक ढूंढ़ा। परंतु भगवान उन्हें कहीं भी नहीं मिले। ब्रह्मा जी ने अपने अधिष्ठान भगवान को खोजने में सौ वर्ष व्यतीत कर दिये। अंत में ब्रह्मा जी ने समाधि ले ली। इस समाधि द्वारा उन्होंने अपने अधिष्ठान को अपने अंत:करण में प्रकाशित होते देखा। शेष जी की शैय्या पर पुरुषोत्तम भगवान अकेले लेटे हुए दिखाई दिये। ब्रह्मा जी ने पुरुषोत्तम भगवान से सृष्टि रचना का आदेश प्राप्त किया और कमल के छिद्र से बाहर निकल कर कमल कोष पर विराजमान हो गये। इसके बाद संसार की रचना पर विचार करने लगे। ब्रह्मा जी ने उस कमल कोष के तीन विभाग भूः भुवः स्वः किये। ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचने का दृढ़ संकल्प लिया और उनके मन से मरीचि, नेत्रों से अत्रि, मुख से अंगिरा, कान से, पुलस्त्य, नाभि से पुलह, हाथ से कृतु, त्वचा से भृगु, प्राण से वशिष्ठ, अंगूठे से दक्ष तथा गोद से नारद उत्पन्न हुये। इसी प्रकार उनके दायें स्तन से धर्म, पीठ से अधर्म, हृदय से काम, दोनों भौंहों से क्रोध, मुख से सरस्वती, नीचे के ओंठ से लोभ, लिंग से समुद्र तथा छाया से कर्दम ऋषि प्रकट हुये। इस प्रकार यह सम्पूर्ण जगत ब्रह्मा जी के मन और शरीर से उत्पन्न हुये। एक बार ब्रह्मा जी ने एक घटना से लज्जित होकर अपना शरीर त्याग दिया। उनके उस त्यागे हुये शरीर को दिशाओं ने कुहरा और अन्धकार के रूप में ग्रहण कर लिया।

इसके बाद ब्रह्मा जी के पूर्व वाले मुख से ऋग्वेद, दक्षिण वाले मुख से यजुर्वेद, पश्चिम वाले मुख से सामवेद और उत्तर वाले मुख से अथर्ववेद की ऋचाएँ निकलीं। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद, धनुर्वेद, गन्धर्ववेद और स्थापत्य आदि उप-वेदों की रचना की।

जैनपुर में पेप्सिको कर्मचारियों के साथ अन्याय!

» बिना नोटिस कई कर्मियों को निकाला गया, वार्ता का दिया वादा तोड़ा, गेट पर प्रदर्शन

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात (माती)। एक ओर जहां सरकारें श्रमिक अधिकारों की रक्षा की बात करती हैं, वहीं बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा ऐसे कदम सवाल खड़े करते हैं। पेप्सिको जैसी कंपनियों से अपेक्षा की जाती है कि वे कर्मचारियों के साथ पारदर्शिता और सम्मानजनक व्यवहार करें, न कि चुपचाप छंटनी और फैक्टरी बंद करने की रणनीति अपनाएं। जैनपुर माती स्थित वरुण बेवरेज लिमिटेड (पेप्सिको) कंपनी प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों के साथ किए जा रहे व्यवहार से नाराज 48 स्थायी कर्मियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। आरोप है कि प्रबंधन ने बिना किसी पूर्व सूचना के

उन्हें कार्यमुक्त कर दिया और वार्ता का वादा कर खुद ही नदारद हो गया।

शीतल पेय बनाने वाली इस प्रतिष्ठित कंपनी के कर्मचारियों का कहना है कि उत्पादन में गिरावट और ऑर्डर न मिलने का हवाला देते हुए बिना नोटिस 48 स्थायी कर्मचारियों की छंटनी कर दी गई। इनमें से कई कर्मचारी ऐसे हैं जो 15 से 30 वर्षों से सेवा दे रहे थे।प्रदर्शनकारियों के अनुसार, कंपनी के एचआर विभाग ने सोमवार को बातचीत का लिखित आश्वासन दिया था, लेकिन जब कर्मचारी तय समय पर फैक्टरी पहुंचे तो गेट बंद मिला और सुरक्षा कर्मियों ने अंदर जाने से रोक दिया। इसके विरोध में कर्मचारियों ने फैक्टरी गेट के बाहर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया।

पुलिस हस्तक्षेप में खुलासा

इस घटना की सूचना पर कर्मचारी जैनपुर चौकी पहुंचे और पुलिस से शिकायत की। चौकी प्रभारी जितेन्द्र तिवारी ने कंपनी के एचआर मैनेजर से वार्ता की, जिसके बाद जानकारी दी गई कि प्रबंधन किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो सका, अब बुधवार को वार्ता की जाएगी।

छंटनी पहले भी हो चुकी है

पेप्सिको कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुरेन्द्र सिंह ने आरोप लगाया कि यह कोई पहली बार नहीं है। वर्ष 2020 में भी इसी तरह कंपनी ने 63 कर्मचारियों को हटाया था। उन्होंने कहा, यह कंपनी जानबूझकर पुरानी यूनिट को ठप कर रही है, क्योंकि नई ब्रांच पर सरकार से अनुदान मिलता है। यह मजदूरों के हक और रोजगार पर सीधा हमला है।

संघर्ष की चेतावनी

संघ के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि बुधवार को भी वार्ता नहीं होती या समाधान नहीं निकला, तो यह आंदोलन और तेज किया जाएगा। प्रदर्शन में मान सिंह, विनय सिंह, राघवेंद्र, मनोज सोनकर, वीरेंद्र यादव, चंदन दत्ता, सुनील मिश्रा, राम किशन तिवारी, ललित मोहन पांडेय सहित कई अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।

इंस्टाग्राम रील बनी आफत, रसूलाबाद सीएचसी प्रभारी कार्यमुक्त

» शराब की बोतल के साथ वायरल वीडियो पर स्वराज इंडिया के ट्वीट से मचा हड़कंप

» आचरण नियमों के उल्लंघन पर प्रशासन ने की तत्काल कार्रवाई, रंजीतपुर पीएचसी में भेजा गया

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

कानपुर देहात। रसूलाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) के प्रभारी डॉ. पीयूष त्रिपाठी का सोशल मीडिया पर एक विवादित वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त कर दिया गया है। वायरल वीडियो में डॉ. त्रिपाठी को शराब की बोतल के साथ इंस्टाग्राम रील बनाते हुए देखा गया, जिससे विभाग की छवि धूमिल हुई। यह वीडियो स्वराज इंडिया न्यूज़ के ट्विटर (एक्स) अकाउंट से ट्वीट होते ही तेजी से वायरल हुआ, जिस पर स्वास्थ्य विभाग ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की। डॉ. त्रिपाठी का यह कृत्य उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली–1956 का स्पष्ट उल्लंघन माना गया है, जिससे अधीनस्थ कर्मचारियों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा।

प्रशासन ने डॉ. पीयूष त्रिपाठी को तत्काल प्रभाव से रसूलाबाद सीएचसी से हटाकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रंजीतपुर में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर स्थानांतरित कर दिया है। उन्हें निर्देशित किया गया है कि वे अपना समस्त कार्यभार किसी अन्य चिकित्सा अधिकारी को सौंपते हुए शीघ्र ही नई तैनाती स्थल पर योगदान सुनिश्चित करें। संबंधित अधिकारियों को कार्यभार प्रमाणक शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।

बाइक खंभे से टकराई, युवक की मौत, पत्नी घायल

» आधी रात कानपुर नगर की ओर जा रहे थे दंपती

» जिला अस्पताल में भर्ती घायल महिला की हालत गंभीर

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

कानपुर देहात। बीती रात करीब 11:30 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई।

बाइक सवार दंपती अण्डा थाना सहायल, जनपद औरैया निवासी थे, जो क्ष/९,श 0826 नंबर की बाइक से कानपुर नगर की ओर जा रहे थे। रास्ते में रसधान सीएनजी पेट्रोल पंप के पास उनकी मोटरसाइकिल अज्ञात कारणों से एक खंभे से टकरा गई। हादसे में चालक ऋषभ कुमार (पुत्र आनन्द कुमार शर्मा) और उनकी पत्नी लाली गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को तत्काल जिला अस्पताल कानपुर देहात ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने ऋषभ को मृत घोषित कर दिया।

पुलिस द्वारा शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। वहीं, घायल पत्नी लाली का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

चार साल से टंकी अधूरी, भरतौली की प्यास बुझाने वाला कोई नहीं

» अधूरी पेयजल परियोजना बनी ग्रामीणों की मुसीबत

» खुदी सड़कें, बारिश में कीचड़ और हैंडपंप ही सहारा

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

कानपुर देहात। भरतौली गांव की आबादी हजार से अधिक है, लेकिन आज भी ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। गांव में चार साल पहले शुरू हुई जलनिगम की पेयजल योजना अधूरी पड़ी है। पानी की टंकी का निर्माण आज तक पूरा नहीं हुआ, जिससे ग्रामीणों की उम्मीदें धूल में मिल गई।ग्राम प्रधान जगदीश निषाद और कई ग्रामीणों ने बताया कि योजना के तहत गांव में पाइपलाइन बिछाई गई और सड़कों को खोद दिया गया, लेकिन टंकी का निर्माण कार्य बीच में ही ठप कर दिया गया। ऐसे में ना पानी मिल रहा है और ना ही सड़कें दुरुस्त की गई हैं।

बारिश के मौसम में सड़कों पर कीचड़ और गड्ढों से गुजरना ग्रामीणों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। पानी के लिए ग्रामीण आज भी हैंडपंप और जिनके घरों में सबमर्सिबल हैं, उन्हीं पर निर्भर हैं।

चार साल बाद भी एक बूंद पानी नसीब न होना, पेयजल योजना में लापरवाही और जिम्मेदारों की उदासीनता को उजागर करता है। अब ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द काम शुरू नहीं हुआ तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे।

टेक्सटाइल मशीन पार्क से बदलेगा कानपुर देहात का औद्योगिक नक्शा

प्रस्तावित टैक्सटाइल मशीन पार्क की भूमि निरीक्षण करते मंत्री राकेश सचान,प्रमुख सचिव आलोक कुमार व मंडलायुक्त विजयेंद्र पांडियन

» चपरघटा में 1700 एकड़ भूमि पर बनेगा अत्याधुनिक टेक्सटाइल मशीन निर्माण पार्क

» प्रमुख सचिव आलोक कुमार बोले औद्योगिक निवेश को गति देने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो,

कानपुर देहात। कानपुर देहात के भोगनीपुर तहसील अंतर्गत चपरघटा में प्रस्तावित टेक्सटाइल मशीन निर्माण पार्क की भूमि का रविवार को कैबिनेट मंत्री राकेश सचान, प्रमुख सचिव आलोक कुमार व मंडलायुक्त विजयेंद्र पांडियन ने संयुक्त रूप से निरीक्षण किया।निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने पार्क के नक्शे व ले-आउट का सूक्ष्म अवलोकन कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने कहा कि प्रदेश सरकार औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यह टेक्सटाइल मशीन पार्क आने वाले समय में उद्योग जगत का प्रमुख केंद्र बनेगा। निरीक्षण में बताया गया कि टेक्सटाइल पार्क 1700 एकड़ क्षेत्रफल में विकसित किया जाएगा, जिसमें टेक्सटाइल मशीनों के निर्माण से जुड़ी इकाइयों को स्थान मिलेगा। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार और क्षेत्र को आर्थिक मजबूती मिलेगी। प्रमुख सचिव ने कहा कि इस परियोजना से कानपुर देहात प्रदेश के औद्योगिक मानचित्र पर एक नई पहचान बनाएगा।

मंडलायुक्त विजयेंद्र पांडियन ने कहा कि पार्क की भूमि का चिन्हांकन हो चुका है और अब जल्द ही साफ-सफाई व समतलीकरण का कार्य शुरू कराया जाएगा। उन्होंने परियोजना को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान मंत्री और प्रमुख सचिव ने राज्य सरकार की प्लेज पार्क स्कीम के अंतर्गत विकसित हो रहे संजीवनी उद्योग पार्क का भी भौतिक अवलोकन किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक सपना देवी द्वारा हर्षिता प्रिंटर्स 127/875, साकेत नगर, कानपुर नगर- (उप्र) से मुद्रित व 119/13, दर्शनपुरवा, कानपुर नगर- 208012 (उप्र) से प्रकाशित। संपादकः अनूप कुमार **RNI No.:** UPHIN/2023/86769 | **Email:** swarajindia2023@gmail.com | **Mob:** 7800009853, | **Website:** www.swarajindianews.com | (समस्त वाद-विवाद कानपुर न्यायालय के अधीन होंगे)

डीएम के निर्देश फेल, शौचालय सचिवालय दोनों बेहाल

» कागजों में चालू शौचालय, जमीनी हकीकत गंदगी और घास से ढकी

» पंचायत भवनों में सचिवालय का संचालन ठप, अफसरों की मिलीभगत उजागर

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। जिले में शासन की बहुप्रचारित योजनाएं जिम्मेदार अफसरों की लापरवाही और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही हैं। सामुदायिक शौचालय और पंचायत सचिवालय संचालन योजना दोनों ही धरातल पर दम तोड़ती नजर आ रही हैं, जबकि डीएम और सीडीओ स्तर से कई बार निर्देश जारी किए जा चुके हैं।

स्वराज इंडिया टीम के रियलिटी चेक में मलासा ब्लॉक की ग्राम पंचायत टोडरपुर के भज्जापुरवा माजरा में शौचालय बदहाल हालत में पाया गया। शौचालय में न पानी है, न बिजली, न कोई साफ-सफाई। टंकी टूटी पड़ी है और आसपास गंदगी व जानवर बंधे हुए हैं। इसके बावजूद कागजों में इसे संचालित बताया जा रहा है और केयरटेकर को हर माह मानदेय दिया जा रहा है।

खड़े खड़े बदहाल हो गया सामुदायिक शौचालय

ग्राम सचिवालय की भी स्थिति गंभीर

सरकार द्वारा सामुदायिक शौचालय के संचालन हेतु प्रत्येक माह 9000 रुपये दिए जाते हैं, जिसमें केयरटेकर मानदेय, सफाई सामग्री, मरम्मत और अन्य खर्च शामिल हैं। लेकिन ये रकम जमीन पर खर्च नहीं हो रही, सिर्फ रजिस्टर में दिख रही है। ग्रामीणों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि पंचायत सचिव कागजी खानापूर्ति कर रहे हैं और घरों में बैठे-बैठे मानदेय जारी कर रहे हैं।

पंचायत सचिवालय और शौचालय योजनाएं दिखी फेल

शासन की मंशा थी कि गांव में ही पंचायत सचिवालय बने ताकि लोगों को प्रमाण पत्र, आवेदन, सरकारी सेवाएं स्थानीय स्तर पर ही मिल सकें, लेकिन कानपुर देहात की अधिकांश पंचायतों में पंचायत भवन सिर्फ नाम के रह गए हैं। ना पंचायत सहायक बैठते हैं, ना सचिव दिखते हैं, और ग्रामीणों को ब्लॉक मुख्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं।

सरकार द्वारा सचिवालय संचालन हेतु 1.5 लाख रुपये फर्नीचर, कंप्यूटर, कैमरा, बिजली कनेक्शन आदि पर खर्च किए गए, फिर भी सचिवालय में कोई सुविधा सक्रिय नहीं है। पंचायत सहायकों को 6000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिल रहा है लेकिन उनके काम का कोई लेखा-जोखा नहीं।

सीडीओ लक्ष्मी नागप्पन द्वारा पंचायत सहायकों की क्रियाशीलता का सत्यापन कराने के निर्देश दिए गए, लेकिन जमीनी

योजनाएं फाइलों में बंद, जिम्मेदार बेखबर

सरकार की मंशा है कि ग्राम पंचायतें आत्मनिर्भर और सक्षम बनें, लेकिन जमीनी सच्चाई इसके उलट है। शौचालय और सचिवालय जैसी बुनियादी योजनाएं या तो ताले में बंद हैं या फर्जी संचालन का जरिया बन गई हैं। जब तक जिला और ब्लॉक स्तर के अफसर अचानक निरीक्षण नहीं करेंगे, तब तक ऐसी योजनाएं घोषणाओं तक ही सीमित रह जाएंगी।

बहू से प्रताड़ित बुजुर्ग 435 किमी दूर पहुंचे न्याय मांगने

» दस जिलों का बार्डर पार करते हुए बागपत की तहसील बड़ौत के गांव से पहुंचे कानपुर

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह सोमवार को जनसुनवाई कर रहे थे। अचानक उनके पास एक बुजुर्ग राजकुमार पहुंचा। कहां से आए हो पूछते ही जैसे राजकुमार ने बताया कि 435 किमी दूर दस जिलों का बार्डर पार करते हुए बागपत की तहसील बड़ौत के गांव से। सभी हतप्रभ रह गए और एकटकी के साथ बुजुर्ग की तरफ

देखने लगे। डीएम ने राजकुमार से आने का कारण पूछा। राजकुमार ने बताया कि आपसे ही न्याय की उम्मीद है। आपकी कार्यप्रणाली के बारे में सुनकर आया हूं। मेरी बहू और उसके मायके वाले मिलकर मेरा मकान कब्जा करना चाहते हैं। पैरवी करने पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं।

छह माह पहले जब आप (जितेंद्र प्रताप सिंह) बागपत डीएम थे तो शिकायत की थी। आपके आश्वासन के बाद कुछ राहत तो मिली लेकिन तबादले के साथ ही वे फिर परेशान करने लगे। बागपत में सभी अधिकारियों की चौखट पर फरियाद लगाकर थक गया तो फिर आपकी याद आई और पता करता हुआ यहां आया हूं।

डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने बुजुर्ग की बात गंभीरता से सुनने के बाद बागपत के संबंधित अधिकारियों से फोन पर बात की और उक्त समस्या का जल्द समाधान करने का अनुरोध किया। इसके बाद डीएम ने राजकुमार को जलपान कराने के बाद रेलवे स्टेशन तक पहुंचाने के लिए सरकारी वाहन का इंतजाम कराया।

(अयोध्या में कागज़ों की कुटिल कारीगरी)

बिना भवन, बिना रास्ता, और मिल गई कॉलेज की मान्यता!

» फर्जी दस्तावेजों, ग़लत शपथपत्रों, और अफसरों की मौन स्वीकृति से कैसे खड़ा कर दिया गया एक हवा में लहराता कॉलेज

» शिक्षा व्यवस्था के नाम पर हुआ विश्वासघात

» विश्वविद्यालय, राजस्व विभाग और अग्निशमन विभाग तक की भूमिका पर गंभीर सवाल

स्वराज इंडिया संवाददाता

अयोध्या। अयोध्या जनपद के बीकापुर तहसील में शिक्षा के नाम पर एक ऐसा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जो सिर्फ कागज़ों की बाज़ीगरी नहीं, बल्कि पूरे प्रशासनिक तंत्र पर तीखा तमाचा है। यह मामला बताता है कि यदि दस्तावेज़ों को तोड़-मरोड़ने और अफसरों की आंखें बंद करने की काबिलियत हो, तो न तो पक्की सड़क की ज़रूरत है, न ही भवन की–कॉलेज की मान्यता बस कागजों पर ही मिल सकती है।

प्रकरण जीएस गर्ल्स डिग्री कॉलेज से जुड़ा है, जो गाटा संख्या 624 व 625 पर स्थित दिखाया गया है। यहां कॉलेज का भवन नहीं, सिर्फ पिलर हैं, और कोई पक्का रास्ता भी नहीं है। बावजूद इसके, विश्वविद्यालय ने मान्यता दी। कैसे?

पूर्व सचिव अनिरुद्ध कुमार तिवारी पर आरोप है कि उन्होंने 2022 में अपनी ज़मीन कॉलेज को दान दी, मगर वह ज़मीन किसी भी सड़क से जुड़ी नहीं है। दानपत्र में खुद यह बात लिखी गई है कि यह भूमि सड़क से लगभग 200 मीटर अंदर है। फिर भी ग्राम प्रधान के प्रमाणपत्र में झूठ दिखाया गया कि कॉलेज 8 मीटर चौड़ी पक्की सड़क से सटा है। सबसे चौंकाने वाला

तथ्य कॉलेज का कोई भवन ही नहीं है, और अग्निशमन विभाग ने आग से सुरक्षा का सर्टिफिकेट दे डाला! भवन मालिक की ओर से निरीक्षण में सुरक्षा व्यवस्था मानक अनुरूप पाई गई! सवाल ये है कि जब इमारत ही नहीं है, तो किस इमारत की सुरक्षा जांच हुई?

पीडब्ल्यूडी और विश्वविद्यालय का खेल

लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता ने भी रिपोर्ट दे दी कि भवन भूकंपरोधी है

और नेशनल बिल्डिंग कोड के मानकों पर खरा उतरता है। डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के निरीक्षण मंडल ने स्थलीय सत्यापन कर मान्यता भी दे दी किस आधार पर ?फर्जी हस्ताक्षर, फर्जी शपथपत्र, और अलग–अलग ट्रस्ट के नाम पर बार–बार एक ही ज़मीन पर कॉलेज की मान्यता के लिए आवेदन।

ग्रामिण शिक्षा एंड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट का पंजीकरण दिसंबर 2024 में हुआ, जबकि दानपत्र 2022 का है। ट्रस्ट बाद में बना, जमीन पहले दान हो गई यह कैसे? 13 जनवरी 2025 को उपजिलाधिकारी की रिपोर्ट खुद कहती है कि वहां कोई पहुंच मार्ग नहीं है, और भवन सिर्फ खंभों तक सीमित है।तो सवाल उठता है जब प्रशासन को सच पता था, तब भी अग्निशमन विभाग, पीडब्ल्यूडी और विश्वविद्यालय ने आंखें क्यों मूंद लीं?

मुझे साजिशन फंसाया गया, ट्रस्ट से निकाला जाना अवैध- अनिरुद्ध तिवारी

अयोध्या। जीएस गर्ल्स कॉलेज में चल रहे प्रबंधकीय विवाद में पूर्व संस्थापक सचिव अनिरुद्ध तिवारी ने बड़ा बयान दिया है। तिवारी का कहना है कि उन्हें इस पूरे विवाद में साजिश के तहत घसीटा जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कॉलेज की पुरानी मान्यता सरेंडर कर दी गई है और नई मान्यता के लिए नई गठित कमेटी के माध्यम से आवेदन किया गया है।तिवारी ने कहा कि उन्हें ट्रस्ट की कार्यवाही की जानकारी दो साल तक नहीं मिली। जब विश्वविद्यालय में नई कमेटी गठित हुई, तब उन्हें इसकी सूचना मिली और उन्होंने आपत्ति दर्ज की। परंतु उनकी आपत्ति पर विश्वविद्यालय के तत्कालीन रजिस्ट्रार अंजनी मिश्रा ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे उन्हें कोर्ट की शरण लेनी पड़ी।उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें अवैध रूप से ट्रस्ट से बाहर किया गया।

सीएम योगी बुधवार को अयोध्या दौरे पर रहेंगे

हनुमानगढ़ी और रामलला के करेंगे दर्शन

स्वराज इंडिया संवाददाता

अयोध्या। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। उनका यह दौरा करीब दो घंटे का होगा, जिसके लिए प्रशासन ने तैयारियां अंतिम चरण में पहुंचा दी हैं।मुख्यमंत्री योगी का आगमन सुबह 9:30 बजे राम कथा पार्क हेलीपैड पर होगा। इसके बाद वह सीधे हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन व पूजन करेंगे। दर्शन पूजन के पश्चात मुख्यमंत्री दशरथ पथ स्थित रामपुर हलवारा गांव पहुंचेंगे, जहां वह त्रिवेणी वन फॉरेस्ट सिटी में अपनी माता के नाम से एक पौधा रोपण करेंगे।

मुख्यमंत्री अयोध्या दौरे के दौरान एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कार्यक्रम

के अनुसार वे 11:35 बजे तक अयोध्या में रहेंगे।

दौरे की तैयारियों का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे ने प्रशासनिक टीम के साथ कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। सुरक्षा व प्रशासनिक इंतजामों को लेकर अधिकारी पूरी तरह सतर्क हैं।मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर अयोध्या में उत्साह का माहौल है। स्थानीय लोग मुख्यमंत्री के स्वागत की तैयारियों में

महिला सशक्तिकरण की दिशा में उत्तर प्रदेश का बड़ा कदम

- मुख्यमंत्री के समक्ष पेश हुआ 'डब्ल्यूईई सूचकांक'
- लखनऊ, कानपुर और वाराणसी शीर्ष पर; श्रावस्ती-महोबा जैसे जिलों में विशेष अभियान चलाने के निर्देश
- ओडीओपी मार्जिन मनी योजना में महिलाओं को लाभान्वित करने के लिए सभी जनपदों में चलेगा विशेष अभियान
- महिलाओं को रोजगार, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने वाला सूचकांक बना नीति निर्माण का आधार
- मुख्यमंत्री योगी ने दिए निर्देश- होमगार्ड एवं शिक्षकों की भर्ती में पुलिस भर्ती की तर्ज पर महिलाओं को मिले वरीयता, योजनाओं में भागीदारी बढ़ाने पर जोर

महत्वपूर्ण बैठक में महिला आर्थिक सशक्तिकरण सूचकांक (डब्ल्यूईई इंडेक्स) की प्रस्तुति की गई। यह सूचकांक योजना विभाग द्वारा उदयती फाउंडेशन के सहयोग से तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि राज्य की योजनाओं और कार्यक्रमों से महिलाओं को कितना लाभ मिल रहा है, इसका सटीक मूल्यांकन किया जा सके और सुधार के लिए दिशा तय की जा सके। मुख्यमंत्री ने इसे नारी गरिमा और आत्मनिर्भरता की दिशा में उत्तर प्रदेश का एक ऐतिहासिक कदम बताया।

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में महिला आर्थिक सशक्तिकरण सूचकांक (डब्ल्यूईई इंडेक्स) की प्रस्तुति की गई। यह सूचकांक योजना विभाग द्वारा उदयती फाउंडेशन के सहयोग से तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि राज्य की योजनाओं और कार्यक्रमों से महिलाओं को कितना लाभ मिल रहा है, इसका सटीक मूल्यांकन किया जा सके और सुधार के लिए दिशा तय की जा सके। मुख्यमंत्री ने इसे नारी गरिमा और आत्मनिर्भरता की दिशा में उत्तर प्रदेश का एक ऐतिहासिक कदम बताया।

इस सूचकांक में पाँच प्रमुख विषयों, उद्यमिता, रोजगार, शिक्षा और कौशल, आजीविका तथा सुरक्षा और आवागमन से जुड़ी सुविधाओं के आधार पर प्रदेश के सभी 75 जनपदों का मूल्यांकन किया गया है। यह सूचकांक यह बताता है कि किस जनपद में महिलाओं को योजनाओं का लाभ मिला और कहाँ अभी और प्रयासों की आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि यह सूचकांक मुख्यमंत्री नियंत्रण कक्ष से जोड़ा जाए और सभी संबंधित विभाग इसे नीति निर्माण और निगरानी के एक महत्वपूर्ण आधार के रूप में अपनाएं। प्रत्येक विभाग को निर्देशित किया गया कि वे इस सूचकांक के आधार पर अपने-अपने कार्यक्षेत्र में महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए ठोस कार्य योजनाएं बनाएं। जिलों को भी सूचकांक के अनुसार अपनी रणनीति तय करनी होगी ताकि स्थानीय स्तर पर योजनाओं का प्रभाव अधिक हो सके।प्रस्तुति में यह भी सामने आया कि कई योजनाओं में कुछ जनपदों ने बहुत अच्छा

प्रदर्शन किया है, जबकि कुछ जिलों में महिलाओं की भागीदारी अपेक्षाकृत कम रही। उदाहरण के लिए, लखनऊ, कानपुर नगर, वाराणसी जैसे जिलों में योजनाओं का लाभ महिलाओं तक बेहतर ढंग से पहुँचा है, जबकि श्रावस्ती, संभल, महोबा, बलरामपुर और सिद्धार्थनगर जैसे जनपदों में विशेष प्रयासों की आवश्यकता महसूस की गई है।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि ओडीओपी मार्जिन मनी योजना के अंतर्गत महिलाओं को लाभान्वित करने के लिए बांदा, जालौन, जौनपुर, महोबा, श्रावस्ती और सीतापुर सहित सभी जनपदों में विशेष अभियान चलाया जाए। जिन जनपदों में अभी तक महिलाओं को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाया है, वहां विशेष प्रयत्न किए जाने की आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि होमगार्ड एवं शिक्षकों की नई भर्तियों में पुलिस भर्ती की तर्ज पर महिलाओं को वरीयता दी जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का यह दायित्व है कि महिलाओं को न सिर्फ सम्मान मिले, बल्कि उन्हें सुरक्षा बलों और शासन-प्रशासन की संरचनाओं में भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त हो।

बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि तकनीकी संस्थानों, कौशल प्रशिक्षण केंद्रों और व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने हेतु विशेष कार्यक्रम चलाए जाएं। प्रशिक्षण से बाहर हो चुकी महिलाओं को दोबारा जोड़ने के लिए प्रत्येक जिले में विशेष पुनः नामांकन इकाई स्थापित की जाए। स्वास्थ्य और सेवाक्षेत्र से जुड़ी शिक्षा में महिलाओं को आगे लाने हेतु पैरामेडिकल संस्थानों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं की भागीदारी बढ़े

सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में भी महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने की योजना पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को ड्राइवर और कंडक्टर जैसे कार्यों में अवसर दिए जाने चाहिए और इसके लिए प्रशिक्षण केंद्रों में उन्हें विशेष सुविधा व प्रोत्साहन दिया जाए।मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सभी विभागों से अपेक्षा की कि वे इस सूचकांक को केवल रिपोर्ट मानकर न छोड़ें, बल्कि इसे कार्य का आधार बनाएं और निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध ढंग से प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की महिलाएं यदि योजनाओं की मूल शक्ति बनेंगी, तभी समाज और राज्य की समग्र प्रगति सुनिश्चित हो सकेगी।

धर्मांतरण : छांगुर की आलीशान कोठी पर गरजा बुलडोजर

मुख्यमंत्री बोले-सभी अपराधियों की संपत्तियां होंगी जब्त

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

बलरामपुर। धर्मांतरण के आरोपी जमालुद्दीन उर्फ छांगुर की कोठी पर सुबह-सुबह बुलडोजर गरजा। उसका आलीशान घर ध्वस्त किया जा रहा है। प्रशासन को अंदर आने से रोकने के लिए गेट पर ताला लगाया गया था। पुलिस गैस कटर से ताला काटकर अंदर दाखिल हुई। इसके बाद कार्रवाई शुरू की गई।

यूपी के बलरामपुर में धर्मांतरण व राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के मास्टरमाइंड जमालुद्दीन उर्फ छांगुर की मधुपुर स्थित आलीशान कोठी पर मंगलवार को बुलडोजर गरजा। सुबह 10.30 बजे प्रशासनिक टीम ने इसे गिराने की कार्रवाई की शुरू की। इससे पहले सुबह 9.00 बजे भारी संख्या में पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी छांगुर के आवास पहुंचे। प्रक्रिया पूरी करने के बाद करीब 10 बजे दो बुलडोजर बुलाए गए। लेकिन, मकान का गेट नहीं खुला। पुलिस ने गेट काटने के लिए गैस कटर मंगाया। इसके बाद गेट का लॉक काटकर टीम और बुलडोजर घर के अंदर पहुंचे।

घर में रह रहे लोगों को बाहर निकल जाने के निर्देश : सीओ उतरौला राघवेंद्र सिंह ने घर का निरीक्षण किया। बायें तरफ से निर्माण ढहाने की कार्रवाई शुरू की गई। गेट के दायें तरफबने दो मंजिला इमारत में कुछ लोग रह रहे थे। उन्हें घर से बाहर निकलने को कहा गया है। बुलडोजर कार्रवाई शुरू होने से मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। देखने वालों का तांता लगा रहा। इससे पहले सोमवार शाम करीब 6:30 बजे तक छांगुर की कोठी परप्रशासन की टीम ने गेट पर बेदखली का नोटिस चस्पा किया। तहसीलदार ने बताया कि सात दिनों में अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो प्रशासन अपने स्तर से अतिक्रमण को गिरवाएगा। प्रशासन की कार्रवाई के बाद छांगुर की आलीशन कोठी में रह रहे लोगों ने आक्रोश जताया। छांगुर की बहू साबिरा पहली बार बाहर आई और प्रशासन पर आरोप लगाया कि पुलिस की कार्रवाई से बच्चे डरे हैं। मामले में प्रभारी निरीक्षक ने कहा कि आरोप मनगढ़ंत है।

अवैध धर्मांतरण के खिलाफफूटा सिख और सिंधी समाज का गुस्सा : प्रदेश में गैर-मुस्लिम लड़कियों को बहला फुलाकर कराए जा रहे धर्मांतरण के खिलाफ सिख व सिंधी समाज के लोगों ने आक्रोश व्यक्त किया है।

समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस तरह का कुत्सित प्रयास करने वालों को चिह्नित कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने धर्मांतरण की साजिश रचने वाले अपराधियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग की है।

यूएई के नेटवर्क को खंगाल रही एटीएस

छांगुर बाबा की करीबी नीतू नवीन रोहरा के यूएई (संयुक्त अरब अमीरात) के नेटवर्क को एटीएस खंगाल रही है। दरअसल, सातवीं कक्षा पास नीतू ने 2014 से 2019 तक 19 बार यूएई की यात्रा की, जिसकी वजह का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। इसी तरह नवीन घनश्याम रोहरा ने भी 2016 से 2020 के बीच 19 बार यूएई की यात्रा की।

प्रमाणित भी किया था दुबई सरकार ने

नवीन घनश्याम रोहरा, नीतू नवीन रोहरा और समाले नवीन रोहरा का धर्मांतरण 16 नवंबर, 2015 को दुबई के अल फारुख उमर बिन कताब सेंटर में हुआ था। इसे दुबई सरकार ने प्रमाणित भी किया था। हालांकि उनके पासपोर्ट की जांच में दुबई की यात्रा करने की पुष्टि नहीं हुई, जिससे आशंका जताई जा रही है कि छांगुर बाबा के गिरोह के गुर्गों ने अलग नाम से भी पासपोर्ट बनवाए हुए हैं।

अपराधियों पर होगी कड़ी कार्रवाई : मुख्यमंत्री

छांगुर के घर बुलडोजर एक्शन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 'हमारी सरकार बहन-बेटियों की गरिमा और सुरक्षा के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी जलालउद्दीन की गतिविधियां समाज विरोधी ही नहीं, बल्कि राष्ट्र विरोधी भी हैं। आरोपी और उसके गिरोह से जुड़े सभी अपराधियों की संपत्तियां जब्त की जाएंगी।

शर्मनाक

80 छात्राओं ने ईएनटी डॉक्टर पर लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप

'कोलकाता जैसा कुछ ना हो जाए' रीवा की छात्राओं ने खोला मोर्चा

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

रीवा। मध्य प्रदेश में रीवा के श्याम शाह मेडिकल कॉलेज से जुड़े संजय गांधी अस्पताल में एक गंभीर मामला सामने आया है, जहाँ बीएससी नर्सिंग द्वितीय वर्ष की करीब 80 छात्राओं ने ईएनटी विभाग के चिकित्सक डॉ. अशरफ पर यौन उत्पीड़न और आपत्तिजनक व्यवहार के आरोप लगाए हैं. इन छात्राओं ने नर्सिंग कॉलेज की प्राचार्य को लिखित में शिकायत देकर आरोप लगाया कि डॉ. अशरफ उनके साथ अभद्र भाषा में बात करते हैं और उनके प्रति अशोभनीय व्यवहार करते हैं, जिससे छात्राएं मानसिक रूप से परेशान हैं और ड्यूटी करने से इनकार कर चुकी हैं।

छात्राएं मानसिक रूप से परेशान : छात्राओं का कहना है कि हाल ही में कोलकाता के एक आरजी नर्सिंग कॉलेज में घटित गंभीर घटना के बाद वह अतिरिक्त सतर्क हो गई हैं और किसी भी तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहतीं। उनकी शिकायत के बाद कॉलेज प्रबंधन ने गंभीरता दिखाते हुए डीन डॉ. सुनील अग्रवाल को पत्र लिखकर मामले की जानकारी दी। इसके बाद डीन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है। डॉ. अग्रवाल ने बताया कि यह मामला महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के तहत आता है, इसलिए इसकी जांच आंतरिक परिवाद समिति को सौंपी गई है। इस समिति की अध्यक्षता नेत्र रोग विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ. शशि जैन कर रही हैं, जबकि अन्य सदस्य डॉ. नीरा मराठे (पीएसएम), स्टाफनर्स रीना पटेल और अशासकीय सदस्य कमलेश सचदेवा (खुशी फाउंडेशन) हैं। समिति को सात दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। डीन डॉ.सुनील अग्रवाल ने स्पष्ट किया है कि जांच प्रतिवेदन के आधार पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। इस बीच, संबंधित डॉक्टर की ड्यूटी से छात्राओं को हटा दिया गया है, जिससे मरीजों की देखरेख में परेशानी भी आ रही है। हालांकि, कुछ छात्राओं का यह भी आरोप है कि जिस विभाग से शिकायत की गई। उसी विभाग के लोगों को ही जांच समिति में शामिल किया गया है, जिससे निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पूरा मामला अभी जांचाधीन है और अगली कार्रवाई जांच रिपोर्ट पर आधारित होगी।